



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05122025-268251
CG-DL-E-05122025-268251

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5402]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 4, 2025/अग्रहायण 13, 1947

No. 5402]

NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 4, 2025/AGRAHAYANA 13, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 दिसम्बर, 2025

का.आ. 5590(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. S.O. 2823(E). तारीख 24/06/2025, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा महाराष्ट्र राज्य के रायगड जिले में NH66 के महाराष्ट्र राज्य में रायगड जिले में NH66 (उपविभागीय कार्यालय माणगाव) पनवेल महाड - पणजी रोड राष्ट्रीय महामार्ग क्र. 66 (पुराना -17) के किमी 91/400 गोड नदी, 94/400 काळ नदी व किमी 161/600 चोराडी नदी के मार्गाधिकार तक के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "06/07/2025 को "दैनिक रत्नागिरी टाइम्स", 05/07/2025 को "दैनिक आपले साम्राज्य" " में प्रकाशित किया गया था ;

जबकि सक्षम प्राधिकारी को धारा 3-ग के तहत दायर आपत्ति प्राप्त हुई है, जिस पर विचार किया गया है और उसका उचित रूप से निपटारा किया गया;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य मे रायगड जिले में NH66 (उपविभागीय कार्यालय माणगाव) पनवेल महाड - पणजी रोड राष्ट्रीय महामार्ग क्र. 66 (पुराना -17) के किमी 91/400 गोड नदी, 94/400 काळ नदी व किमी 161/600 चोराडी नदी के मार्गाधिकार तक के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: महाराष्ट्र			जिले का नाम: रायगड		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/ हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: माणगाव					
गांव का नाम: कलमजे					
1	65 पार्ट	निजी	वेट	0.055	वसंत सखाराम वाढवळ, कृष्णा सखाराम वाढवळ, नारायण गोविंद वाढवळ, राम गोविंद वाढवळ, हाशी तुकाराम गुगले, शशिकला तुकाराम वाढवळ, विजय तुकाराम वाढवळ, अजय तुकाराम वाढवळ, जयश्री उमाजी वाढवळ, नथुराम उमाजी वाढवळ, आरोही अविनाश दांडेकर 65/1 part
2	79 पार्ट	सरकारी	पड	0.028	सरकारी पड 79 Part
गांव का नाम: भादाव					
3	102 पार्ट	सरकारी	पड	0.095	नगरपंचायत माणगांव 102 part
गांव का नाम: उतेखोल					
4	माइन (63/ब/1/अ)	सरकारी	पड	0.171	खाणीकडे 63/B/1A
Total				0.349	

[फा. सं. RO/MUM/12014/24/2020-21/MAH(Zone-IV)/3D]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th December, 2025

S.O. 5590(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, **S.O. 2823(E). Dated:24/06/2025**, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for Construction of Major High-level Bridge across Panvel-Mahad-Panji road NH-66

(old - 17) at Km 91/400 God River, Km 94/400 Kal river & Km 161/400 Choradi river on NH - 66 (Sub Divisional Office Mangaon) in Raigad district in the state of Maharashtra

And whereas the substance of the said notification has been published in “**Dainik Ratnagiri Times**” dated **06/07/2025**, “**Dainik Aapale Samrajya**” dated **05/07/2025** ; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas the Competent Authority has received objections filed under Section 3-C, considered and settled the same appropriately;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, Construction of Major High-level Bridge across Panvel-Mahad-Panji road NH-66 (old - 17) at Km 91/400 God River, Km 94/400 Kal river & Km 161/400 Choradi river on NH - 66 (Sub Divisional Office Mangaon) in the district of RAIGAD in the state of MAHARASHTRA

State: MAHARASHTRA			District: RAIGAD		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Hectares)	Name of Land Owner/Interested Person
1	2	3	4	5	6
Taluk: Mangaon					
Village: Kalamje					
1	65 Part	Private	Wet	0.055	Vansant Sakharam Wadhaval, Krushna Sakharam Wadhaval, Narayan Govind Wadhaval, Ram Govind Wadhaval, Hashi Tukaram Gugale, Shashikla Tukaram Wadhaval, Vijay Tukaram Wadhaval, Ajay Tukaram Wadhaval, Jayashree Umaji Wadhaval, Nathuram Umaji Wadhaval, Aarohi Avinash Dandekar 65/1 part
2	79 Part	Government	Dry	0.028	Sarkari Pad 79 Part
Village: Bhadav					
3	102 Part	Government	Dry	0.095	Nagarpanchayat Mangaon 102 part
Village: Utekhhol					
4	Mine (63/B/1/A)	Government	Dry	0.171	Mine 63/B/1A
Total				0.349	

[F. No. RO/MUM/12014/24/2020-21/MAH(Zone-IV)/3D]

SHAIKH AMINKHAN, Director